

**अनुदान संख्या 65 - खान मंत्रालय**  
**GRANT No. 65-MINISTRY OF MINES**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	Charged-		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	14,00	4,85      -9,15
स्वीकृत-	Voted-		
मूल	Original      387,06,00	490,69,00	469,45,33      -21,23,67
पूरक	Supplementary      103,63,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		6,70,77
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>		
स्वीकृत-	Voted-	51,80,00	39,17,81      -12,62,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		14,62,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2123.67 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 10363.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 20 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"		
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas		
मू.	O.	1350.00	
पू.	S.	200.00	..      ..      ..
पु.	R.	-1550.00	

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2123.67 lakhs) constituted 20 percent of the supplementary grants of Rs.10363.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2853"	Major Head "2853"				
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	36344.00	47186.73	45751.78	-1434.95
पू.	S.	9968.00			
पु.	R.	874.73			

(I) 1550.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 1325.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता" - 974.00 लाख रु. (194.00 लाख रु. का पूरक अनुदान सहित) थे;

(खा) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - सर्वेक्षण और मानचित्रण - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण - 165.00 लाख रु.;

(गा) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - खनिज अन्वेषण - आर्थिक खनिज" - 130.00 लाख रु.; और

(घा) "खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो" - 56.00 लाख रु. (6.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) थे।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1550.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.1325.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India - Direction and Administration - Administrative Support" - Rs.974.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.194.00 lakhs);

(B) "Geological Survey of India - Survey and Mapping - Ground, Aerial and Marine Survey" - Rs.165.00 lakhs;

(C) "Geological Survey of India - Mineral Exploration - Economic Minerals" - Rs.130.00 lakhs; and

(D) "Regulation and Development of Mines - Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines" - Rs.56.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.6.00 lakhs).

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2853" - "खानों का विनियमन और विकास - खनिज अन्वेषण - विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम" के अंतर्गत 580.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 86.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 666.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 131.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आवश्यकता को आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पूरा किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" -

(क) "अनुसंधान और विकास - प्रयोगशाला अनुसंधान" - 113.29 लाख रु. की बचत (483.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तियों और सामग्रियों को अंतिम रूप न दिए जाने और विभिन्न परियोजनाओं की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय" -

(i) "विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय" - 272.48 लाख रु. की बचत (899.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीएसआई प्रकाशन के मुद्रण में विलंब होने, विदेशी पत्रिका के बिल प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) "सूचना और प्रौद्योगिकी" - 127.98 लाख रु. की बचत (835.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "खानों का विनियमन और विकास - खनिज अन्वेषण - खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड द्वारा खनिज अन्वेषण कार्य" - 300.00 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड में संवर्धन संबंधी कार्य कम किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2853" - "Regulation and Development of Mines - Mineral Exploration - Science and Technology Programme" - the original provision of Rs.580.00 lakhs was augmented to Rs.666.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.86.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.131.00 lakhs (including supplementary grant) - due to meeting out the requirement through Internal Resources.

(III) Under Major Head '2853' - savings occurred under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India"-

(a) "Research and Development - Laboratory Research" - saving of Rs.113.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.483.00 lakhs) was due to non-finalisation of supplies and materials and requirement of less funds towards repairs and maintenance of various projects.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Miscellaneous Major Expenditure on different Operations" - saving of Rs.272.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.899.00 lakhs) was due to delay in printing of GSI Publication, non-receipt of foreign journal bills and economy measures.

(ii) "Information and Technology" - saving of Rs.127.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.835.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement of IT equipments.

(B) "Regulation and Development of Mines - Mineral Exploration - Mineral Exploration work by Mineral Exploration Corporation Ltd." - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to less promotional work in Mineral Exploration Corporation Limited.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 51.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1346.40 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2853" - "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता" के अंतर्गत 2661.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 529.66 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (1462.00 लाख रु.) 1262.19 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under one head saving of Rs.51.00 lakhs occurred constituting 25 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.1346.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2661.00 lakhs under Major Head "2853" - "Geological Survey of India - Direction and Administration - Administrative Support". Actual excess, however, was Rs.529.66 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.1462.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.1262.19 lakhs.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	440.00	..	..
पु.	R.	-440.00	..	..
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries			
मू.	O.	4740.00	3718.00	+199.81
पु.	R.	-1022.00		

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

(I) 441.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 440.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "4552" - "खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" - 300.00 लाख रु.; और

(खा) "भारतीय खान ब्यूरो" - 140.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4853" - "खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय - पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 821.19 लाख रु. की बचत (4739.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.441.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.440.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure"- under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India" - Rs.300.00 lakhs; and

(B) "Indian Bureau of Mines" - Rs.140.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4853" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Acquisition of Capital Assets" - saving of Rs.821.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4739.00 lakhs) was due to delay in administrative process in procurement of machinery and equipments.